न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 73/2024

उनवान

संगीता उर्फ सोनू पुत्री लादू जाति रावत निवासी ग्राम अन्सरी, नसीराबाद
–– वादी :– जरिये अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. प्रेम पत्नी लादू
2. मंजू पुत्री लादू समस्त जाति रावत निवसी ग्राम अन्सरी, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

––प्रतिवादीगण :–1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री सौरभ सैठी
3 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक :– २५.६.२४

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अन्सरी प.म. भीमपुरा में स्थित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी/काश्तकारी की है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
28/40	किता 31	6.84

उपरोक्त आराजी में वादी का नाम संगीता के बजाय सोनू दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम संगीता पुत्री लादू है, जो कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, व भामाशाह कार्ड में सही दर्ज है। उक्त त्रुटि राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से हुयी है। अतः आराजी मुतनाजा में वादी का नाम सोनू के स्थान पर संगीता दर्ज किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादी का नाम सोनू के स्थान पर संगीता दर्ज किया जावे तो कोई आपत्ति नही है। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में वादी, प्रतिवादी संख्या [illegible] तथा अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज है। वादी का नाम हाल राजस्व अभिलेख में सोनू [illegible] अंकित है। वंकिग जमाबंदी व आधार जमाबंदी सम्वत् 2059–78 [illegible] के नाम दर्ज थी, जिससे सिद्ध होता है कि आराजी मुतनाजा [illegible] द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, व भामाशाह कार्ड में वादी का सही नाम संगीता ही दर्ज [illegible] उक्त त्रुटि दुरूस्त करने से प्रतिवादी अथवा अन्य सह खातेद[illegible] के हितों पर कोई विपरि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नही पडेगा। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में राजीनामा पेश किया है। राज0 पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम सोनू के स्थान पर संगीता उर्फ सोनू दर्ज किया जाना उचित होगा।

उक्तानुसार ग्राम ग्राम अन्सरी प.म. भीमपुरा के हाल खाता संख्या 28/40 किता 31 रकबा 6.84 की भूमि पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम सोनू के स्थान पर संगीता उर्फ सोनू दर्ज किये जने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

संगीता बनाम प्रेम

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 73/2024
पेश करने की दिनांक — 19.04.24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई अभिभाषक सौरभ सैठी व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम ग्राम अन्सरी प.म. भीमपुरा के हाल खाता संख्या 28/40 किता 31 रकबा 6.84 की भूमि पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम सोनू के स्थान पर संगीता उर्फ सोनू दर्ज किये जने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यावि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २५ माह ६ सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested